## कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय गाजीपुर।

### विज्ञप्ति

**दिनांक 27.07.2026**

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1928/SFCM Cell/Allahabad दिनांक 28.02.2026 के अनुक्रम में कुटुम्ब न्यायालय, गाजीपुर में 01 परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है, जिसके संबंध में शासनादेश सं० 102/07–न्याय–02–2015–728 न्याय अनुभाग–02 अधीनस्थ न्यायालय गाजीपुर, दिनांक 18 जून 2015 के तहत अधोवर्णित अर्हता धारकों से निम्नलिखित शर्तों के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

1. आवेदक यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक हो तथा समाज सेवा का अनुभव रखता है। जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और समाज सेवा का अनुभव रखते हैं तथा साथ ही पारिवारिक काउंसलिंग में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखता हो, उसे वरीयता दी जायेगी।

2. आवेदक की आयु विज्ञापन प्रकाशित करने की दिनांक को 35 से 65 वर्ष के मध्य हो।

3. जो आवेदक गाजीपुर जनपद का निवासी है को वरीयता दी जायेगी।

4. परामर्शदाताओं का कार्यकाल तीन (3) वर्ष का होगा।

5. परामर्शदाताओं के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी। न्यायालय से संविदा के आधार पर संबद्ध रहेंगें।

6. आवेदन प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा इसकी स्क्रूटनी की जायेगी और यथासंभव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।

7. राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर मा० उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से संबंधित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरांत उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।

8. परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के संबंध में मा० उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार मा० उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

**9. यह विज्ञप्ति तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति मा० इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित रिट सी० याचिका सं० 10298/2026 में पारित किसी अन्यथा आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा बनाये गये/बनाये जाने वाले नियमों के अधीन होगी।**

10. नियुक्त परामर्शदाताओं को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा।

| क्रम सं0 | न्यायालय का नाम | परामर्शदाताओं के रिक्त पदों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गाजीपुर। | 01 |
| | **कुल योग** | 01 |

27-7-2026

11. जो व्यक्ति इच्छुक हो, वे संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन–पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों व अन्य वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित दिनांक 04.08.2026 तक प्रशासनिक कार्यालय, पारिवारिक न्यायालय, गाजीपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(शैलोज चन्द्रा)
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, गाजीपुर।

संलग्नकः यथोक्त।

**प्रतिलिपिः–**

1. प्रभारी अधिकारी, नजारत जनपद, न्यायालय गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. प्रशासनिक अधिकारी, पारिवारिक न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रशासनिक कार्यालय, कुटुम्ब न्यायालय, गाजीपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

3. सचिव, बार एसोसिएशन, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे इस विज्ञप्ति को बार एसोसिशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

4.जिला सूचना अधिकारी गाजीपुर को स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

5. सिस्टम ऑफिसर, कंप्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि यह विज्ञप्ति की प्रतिलिपि को जनपद न्यायालय गाजीपुर व मा० उच न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

27-7-2026
(शैलोज चन्द्रा)
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, गाजीपुर।

प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय-गाजीपुर

## परामर्शदाता के चयन हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित

फोटो

1. आवेदक का नाम .....

2. पिता/पति का नाम .....

3. जन्म तिथि .....

4. पत्राचार का पता .....

5 स्थायी पता .....

6. मोबाइल/टेलीफोन न०...../ई.मेल आई० डी०.....

7. आधार कार्ड सं०–.....

8. वर्ग (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति).....

9. शैक्षणिक योग्यता का विवरणः (अंक पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।).....

| **शैक्षणिक योग्यता** | **प्राप्तांक** | **पूर्णांक** | **प्रतिशत** | **बोर्ड/संस्थान का विवरण** |
|---|---|---|---|---|
| **स्नातक** | | | | |
| **परास्नातक** | | | | |
| **अन्य** | | | | |
| | | | | |

11. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में पारिवारिक न्यायालय में परामर्शदाता के रुप में कार्य किया गया हो तो उसका संपूर्ण विवरण दें.....

(सुसंगत प्रमाण पत्र/आदेश/नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)।

12. यदि आवेदक के पास पारिवारिक मामलों में काउंसलिंग का पूर्व अनुभव हो तो उसका विवरण.....

(प्रमाण–पत्र संलग्न करें)।

13. यदि अधिवक्ता हैं तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पंजीकरण की संख्या/तिथि का विवरण.....

(उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का प्रमाण पत्र/सी०ओ०पी० संलग्न करें)।

14. यदि आवेदक अधिवक्ता है तो आवेदक ने पिछले 3 (तीन) वर्षों में कितने मुकदमों में वकालतनामा प्रस्तुत किया है और उसके कितने मुकदमें अंतिम रुप से निर्णीत हुए, वर्षवार विवरण संलग्न करें।.....

15. क्या न्यायालय से आपको प्रशंसा अथवा चेतावनी मिली है? यदि हां, तो विवरण अंकित करें.....

(आदेश की प्रतिलिपि)

16. आवेदक की पिछले तीन वर्ष की वार्षिक आय का विवरण.....

(I.T.R. की प्रतिलिपि संलग्न करें)

17. क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लंबित है अथवा पूर्व में चला है, तो उसका विवरण .....

18. यदि आवेदक के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा अवमानना की कार्यवाही की गई हो तो उसका पूर्ण विवरण दें.....

19. यदि आप समाज सेवा/मनोविज्ञान से जुड़े हैं तो इस क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण.....

(सुसंगत प्रमाण पत्रों सहित प्रस्तुत करें)।

स्थान.....  आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक.....  मोबाइल नं०.....

**<u>सत्यापन</u>**

मैं  सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त क्रम स०–1 लगायत क्रम सं०–19 तक उपवर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। यदि उपरोक्त कथन में त्रुटि व गलत पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये तथा में कानूनी कार्यवाही का भागी होऊंगा।

आवेदक का हस्ताक्षर